

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हेमपुर

पत्रांक: स्टोर/4/एन0एन0सी0/हेम0/2020-2021

दिनांक:- 10/02/2021

सीमित निविदा

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (भारत सरकार का संस्थान) के हेमपुर कार्यालय में उपलब्ध अनुपयुक्त सामग्री (प्लास्टि पैलेट्स/गनी बैग/एच.डी.पी.ई. बैग/जूट बैग) की नीलामी हेतु मोहरबंद निविदा एवं खुली बोली दिनांक 23.02.2021 को आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com तथा <https://eprocure.gov.in> पर देखे जा सकते हैं।

इच्छुक निविदाकार क्षेत्र कार्यालय , हेमपुर से किसी भी कार्य दिवस में निविदा दास्तावेज के मूल्य ₹ 590/-(सभी कर सहित) (अप्रतिदेय) का भुगतान रोकड़/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट से कर दिनांक 23.02.2021 अपरान्ह 12:00 बजे तक निविदा दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।

सभी निविदादाताओं को खुली नीलामी से पूर्व बंद लिफाफे में निविदा जमा करानी होगी व उसके पश्चात ही वे खुली नीलामी में भाग ले सकेंगे। बंद लिफाफे में निविदा दिनांक 23.02.2021 को अपरान्ह 13:00 बजे तक जमा की जा सकेगी एवं खुली बोली उसी दिन अपरान्ह 14:00 बजे से शुरू की जाएगी।

भवदीय

क्षेत्र प्रबन्धक

राष्ट्रीय बीज निगम,हेमपुर

निविदा के नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

- 1-इच्छुक निविदा दाताओं द्वारा अनुपयुक्त सामग्री का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के हेमपुर कार्यालय पर आकर किया जा सकता है।
- 2-निविदा दाता को **धरोहर** राशि के रूप में ₹0 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि **नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि0 काशीपुर** के पक्ष में देय हो, को निविदा के साथ संलग्न कर जमा करना होगा। धरोहर राशि **FD** या चेक के रूप में मान्य नहीं होगा। असफल निविदादाता की धरोहर राशि वापस कर दी जायेगी। सफल निविदा दाता की **धरोहर** राशि को अन्तिम भुगतान में समायोजित कर दी जाएगी।
3. यदि फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, तब निविदा शुल्क रुपये 590/- का डी.डी भी निविदा के साथ लगाना होगा।
- 4-सभी निविदादाताओं को खुली नीलामी से पूर्व बन्द लिफाफे में निविदा जमा करानी होगी व उसके पश्चात् ही वो खुली नीलामी में भाग ले सकेंगे। निगम को उन आइटम्स की बन्द लिफाफे में निविदा प्राप्त करने का अथवा पुनः नीलामी करने का अधिकार होगा जिनका प्राप्त अधिकतम बोली समीति द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है।
- 5-निविदादाताओं द्वारा बंद लिफाफे में में दिये गये रेट एवं खुली बोली में दिये गये रेट में जो भी अधिकतम होगा, उसे निविदामूल्य माना जायेगा।
- 6-निविदा दाता को अपने आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ जमा करनी होगी।
- 7-निविदा दाता को अपना जी.एस.टी. नम्बर की स्वप्रमाणित प्रति भी निविदा प्रपत्र के साथ जमा करनी होगी।
- 8-खरीदे गये सामग्री पर वर्गवार ट्रेड टेक्स/जी0एस0टी0/TCS नियमानुसार देय होगा।
- 9-निविदा में दी जाने वाली दरें केवल निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होगी।
- 10-उल्लेखित दरें अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिये।
- 11-कटिंग व ओवरराइटिंग यथासंभव न की जाय, यदि हो तो उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना चाहिये।
- 12-निविदा छूटने पर सफल निविदा प्राप्तकर्ता को निविदामूल्य का **25%** राशि जमानत के रूप में नीलामी के तुरंत बाद जमा करानी होगी।
- 13-सफल निविदा प्राप्तकर्ता को स्वीकृति पत्र जारी करने के तिथि से 3 दिन के भीतर **GST, TCS** व आयकर सहित पूर्ण भुगतान जमा करना होगा अन्यथा कुल धनराशि पर **2% अतिरिक्त जमा कराना** होगा।
- 14-अनुपयुक्त सामग्री को स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर हर हाल में उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि(रुपये 10,000/-) एवं जमा की गयी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 15-सफल निविदा दाता को अनुपयुक्त सामग्री जहाँ है जिस हालत में है उठानी होगी। निगम को आइटम घटाने/बढ़ाने अथवा निस्तारण न करने का पूर्ण अधिकार होगा।

- 16—सामग्री को उठाने के लिए अपना साधन एवं वारदाना साथ में लाना होगा तथा गोदाम से सामग्री उठाने का प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
- 17—निस्तारण किया गया सामान किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान दिया जायेगा। यदि निविदादाता निस्तारण की गयी आइटम को अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा उठवाता है तो उसके पास सामान को प्राप्त करने का अथॉरिटी लेटर होना चाहिये तथा निविदादाता द्वारा एन.एस.सी को इस बारे में पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
- 18—राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का कोई भी कर्मचारी या उनके परिवार का सदस्य नीलामी में किसी भी प्रकार से भाग लेने का अधिकारी नहीं है।
- 19—यदि कोई निविदादाता निगम के किसी कर्मचारी/अधिकारी से अनुचित लाभ लेने हेतु कोई सिफारिश करता हुआ पाया जाता है चाहे कारण जो भी हो, तो उसे निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
- 20—राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को पूरा अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली दाता को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं और इस विषय में कमेटी द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा।
- 21—‘यदि किसी भी नियम शर्त के कारण एन.एस.सी और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा उपरान्त भी विवाद बना रहता है तो यह दोनों पक्षों के लिये बाध्य होगा कि वह समय-समय पर संशोधित किये गये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस मुद्दे को हल करने के लिये एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को मध्यस्थ का निर्णय मान्य होगा। दोनों पक्ष न्यायिक अदालत में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और अंग्रेजी भाषा में होगी। उपरोक्त पर दिल्ली की अदालत का क्षेत्राधिकार होगा।’
- 22—निविदा को निरस्त करने के सभी अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेंगे।
- 23—हमने निविदा के उपरोक्त नियम व शर्तों को भली भाँति पढ़ व समझ लिया है तथा इन्हें स्वीकार करते हुये हस्ताक्षर करते हैं।

क्र.सं.	निविदादाता का नाम व पता	निविदादाता का हस्ताक्षर

प्रतिलिपि:—1—प्रभारी, मानव संसाधन, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सूचना पट्ट ।

“ निविदा फार्म ”

सेवा में,

प्रक्षेत्र प्रबन्धक
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
हेमपुर

विषय:- आपकी निविदा दिनांक के सम्बन्ध में,।

महोदय,

निम्न लिखित अनुपयुक्त सामग्री कय हेतु हम/मैं अपनी दरें निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हूं

क्र.सं.	अनुपयुक्त सामग्री का नाम	मात्रा नग	दर प्रति नग/किग्रा	कुल धनराशि
1	Jute Bags 40 Kg. Size	7738		
2	Gunny Bags 50 Kg. Size	11729		
3	HDPE Bags 40 Kg. Size	5040		
4	Plastic Pallets (Blue)	532		
5	Electric Motor 15 HP	1		

निविदा फार्म के साथ सलग्न आपकी सभी शर्तें एवं नियम मुझे मंजूर हैं। और शर्तें मानने के लिए बाध्य हैं ।

निविदा प्रपत्र राशि	
डी.डी /प्राप्ति रसीद सं० एवं दिनांक	
धरोहर राशि	
डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक	
आधार कार्ड विवरण	
पैन कार्ड विवरण	
जी.एस.टी. नम्बर का विवरण	

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ नाम –

प्रार्थी का पता:-

मोबाइल न० –